BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY

RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090022

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

झारखंड के संदर्भ में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति एवं विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Satish Chandra Yadav

Assistant professor, Jasidih B.Ed College, Deoghar, Jharkhand

सारांश:

शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास में योगदान देती है और शैक्षिक उन्नति के माध्यम से ही हम जनजातीय समाजों को अधिक जटिल समाजों में परिवर्तित कर सकते हैं। शिक्षा मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; यह संसाधन विकास की प्राथमिक प्रेरक शक्ति है। जनजातीय समुदायों के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। यह शोध इस बात पर बल देता है कि प्रगति के लिए शिक्षा में निवेश आवश्यक है। झारखंड राज्य, जो दुनिया भर में खनिजों की प्रचुरता और भारत के प्राचीन निवासियों - आदिवासियों के लिए जाना जाता है, ने जनजातीय विकास के संबंध में साक्षरता और शिक्षा पर नियमित रूप से चर्चा की है। इस अध्ययन का उद्देश्य झारखंड में आदिवासी बच्चों के बीच साक्षरता दर और शिक्षा को जानना और समझना है। यह देखते हुए कि झारखंड मुख्य रूप से जनजातियों द्वारा बसा हुआ राज्य है, राज्य की जनजातियों के बीच वर्तमान शिक्षा का स्तर क्या है, और शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर यह अध्ययन देना चाहता है। इस संदर्भ में, यह अध्ययन झारखंड की गरीबी की स्थिति के साथ-साथ जनजातीय विकास से जुड़े मुद्दों और अवसरों की पड़ताल करने का प्रयास करता है। विकास के कारण विस्थापन के विरुद्ध जन आंदोलन, खनन संबंधी समस्याओं और मूल निवासियों के जीवनयापन के साधनों के ह्रास को इस लेख में रेखांकित किया गया है। लेख में राजनीतिक अस्थिरता, अनियंत्रित खनन संसाधनों के दोहन, और गलत सरकारी नीतियों और गैर सरकारी उनके अपर्याप्त क्रियान्वयन के कारण विकास में आने वाली कठिनाइयों का भी वर्णन किया गया है।

कीवर्ड: *साक्षरता, जनजातीय शिक्षा, विकास का स्तर, सरकारी नीतियों, शैक्षिक समस्या।*

भूमिका:

भारत का एक राज्य, झारखंड अपने मूल निवासियों, जिन्हें आमतौर पर जनजातियाँ कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुसार, झारखंड के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को "अनुसूचित क्षेत्र" कहा गया है। लगभग 79,714 वर्ग किलोमीटर में फैले झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता छोटानागपुर पठार है, जो पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। इस पठारी क्षेत्र के प्रमुख ज़िले, जहाँ मुख्यतः आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, में रांची, गुमला, पलामू, लातेहार, पूर्वी

सिंहभूम, देवघर, दुमका, गिरिडीह,पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, हज़ारीबाग, धनबाद और संथाल परगना शामिल हैं।जनजाति उन लोगों का समूह है जो एक विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं और जिनके अपने विशिष्ट रीति-रिवाज, भाषा और संस्कृति होती है। प्रत्येक जनजाति की एक विशिष्ट पहचान होती है, और जनजातियों का नामकरण उनके संबंधित समुदायों के आधार पर किया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत की लगभग 8.10% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, जो देश के लगभग 15% भूभाग पर निवास करती हैं। अकेले झारखंड में, 2011 की जनगणना के अनुसार, आदिवासियों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 86.45 लाख है, जिनमें से लगभग 7.76 लाख शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। राज्य में 32 जनजातियाँ हैं, जिनमें से आठ को आदिम जनजातियाँ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शेष 24 जनजातियों की कुल जनसंख्या लगभग 83.52 लाख है कुल जनसंख्या लगभग 2.92 लाख है।

संघीय सरकार द्वारा संचालित कई पहलों का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है ताकि समकालीन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हालाँकि, भारतीय राज्य झारखंड के सामने एक बड़ी बाधा जनजातियों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा है, जो सरकार और नीति निर्माताओं द्वारा ऐतिहासिक भेदभाव के कारण है। झारखंड का आदिवासी समुदाय, जो अपने पारंपरिक तौर-तरीकों के लिए जाना जाता है, गरीबी, निरक्षरता और उपेक्षा के निरंतर चक्र में फँसा हुआ है।

जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा में सार्वभौमिक विकास:

केंद्र सरकार द्वारा निवासियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न शैक्षिक योजनाएँ और परियोजनाएँ शुरू करने के बावजूद, जिनमें आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना, आदिवासी लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण और आदिम आदिवासी समुदायों के विकास की योजना शामिल है, बहुत कम लोग इस मुद्दे से सफलतापूर्वक निपट पाए हैं।इस विफलता का कारण स्थानीय संदर्भ के प्रति कार्यक्रमों की असंवेदनशीलता है, जिसमें क्षेत्रीय, भौगोलिक और भौतिक असमानताओं की अनदेखी की जाती है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, भ्रष्टाचार और आदिवासी क्षेत्रों पर विकास पर ध्यान केंद्रित न करने ने इन कार्यक्रमों की प्रगति में बाधा डाली है।यह कार्य इस अंतर को पाटने में मदद करने के लिए आदिवासी समुदायों पर केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर बल देता है।

गरीबी अपने व्यापक अर्थ में एक सदियों पुराना मुद्दा है, लेकिन विभिन्न दृष्टिकोणों से इसकी व्यापक समझ अपेक्षाकृत आधुनिक है। भारतीय संदर्भ में, यह दृष्टिकोण 1970 के दशक के बाद ही उभरा है। इससे पहले, नेहरू का भारत में गरीबी के बारे में मुख्यतः आर्थिक दृष्टिकोण था। 1950 के दशक में नेहरू द्वारा स्थापित योजना आयोग का उद्देश्य अल्पावधि में कृषि अर्थव्यवस्था को एक आत्मनिर्भर आधुनिक अर्थव्यवस्था में बदलकर गरीबी उन्मूलन करना था। नेहरू की रणनीतियों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, जिससे उनका दृष्टिकोण केवल एक आदर्शवादी प्रस्ताव ही नहीं, बल्कि समाधान खोजने का एक गंभीर प्रयास बन गया।

दूसरी ओर, एल्विन ने केवल गरीबी की ओर ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उनके भाषण सीधे नीति-निर्माण की ओर नहीं ले गए। इसके अलावा, गरीबी पर नेहरू के दृष्टिकोण में जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक से संबंधित चिंताएँ शामिल थीं, जबकि एल्विन का ध्यान केवल जनजातियों पर था।गरीबी और खाद्य सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई हैं और उनके कई आयाम हैं।

गरीबी अक्सर कुपोषण का कारण बनती है, जबकि खाद्य असुरक्षा लोगों की भोजन तक पहुँच को सीमित करती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की। भारत की अधिकांश आबादी गरीबी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, बेरोजगारी और निम्न जीवन स्तर से जूझ रही है। खाद्य असुरक्षा गरीबी, भेद्यता और आजीविका की असुरक्षा को और बढ़ा देती है, और इसके विपरीत भी। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) मानते हैं कि भूख और खाद्य असुरक्षा गरीबों के बीच प्रमुख चिंताएँ हैं और इस समस्या को कम करने का लक्ष्य रखते हैं।खाद्य सुरक्षा को लोगों की पर्याप्त, सुरक्षिझारखंडत और पौष्टिक भोजन तक भौतिक, आर्थिक और सामाजिक पहुँच के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करता है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में भोजन की उपलब्धता, सामर्थ्य और भोजन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता पर भी विचार करना शामिल है। पेयजल, पर्यावरणीय स्वच्छता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सहित अन्य कारक भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं।अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2008 के अनुसार, भारत भूख और कुपोषण के मामले में एक चिंताजनक स्थिति का सामना कर रहा है, जहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने दैनिक भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।भारत का कोई भी राज्य 'कम भूख' या 'मध्यम भूख' की श्रेणी में नहीं आता है, मध्य प्रदेश में भूख का स्तर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद झारखंड और बिहार का स्थान है।हाल ही में, गरीबी के विश्लेषण में लैंगिक पहलू पर विचार करने पर ज़ोर दिया जा रहा है।महिलाएँ गरीबों का एक बड़ा हिस्सा हैं, जिसे 'गरीबी का स्त्रीकरण' कहा जाता है। गरीबी की यह अवधारणा महिलाओं की गरीबी को समझने और उससे निपटने में मदद करती है। भारत में महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में, खासकर उत्तरी राज्यों में, गंभीर अभावों का सामना करना पड़ता है, जहाँ सामाजिक मानदंड और असमानताएँ विशेष रूप से प्रबल हैं।

गरीबी महिलाओं और महिला-प्रधान परिवारों को असमान रूप से प्रभावित करती है और उनकी और उनके परिवारों की स्थिति में सुधार के उनके आर्थिक और राजनीतिक अवसरों को सीमित करती है। मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान आवश्यक है।

सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति:

झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अभ्यर्थियों को निःशुल्क परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एसटी अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और सरकारी व निजी, दोनों स्कूलों में नियुक्ति पाने में सहायता प्रदान करना है।

27 जून, 2025 को झारखंड की सरकारी शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति और रांची, गुमला, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, दुमका, गिरिडीह,पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, हज़ारीबाग, धनबाद ज़िले के शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनिका प्रखंड कार्यालय में एक जनसुनवाई आयोजित की गई। इस सुनवाई का आधार प्रखंड के 200 एकल-शिक्षक विद्यालयों का सर्वेक्षण था।

जनसुनवाई के दौरान सरकारी स्कूलों, खासकर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बच्चों वाले स्कूलों की स्थिति उजागर हुई। अभिभावकों और ग्रामीणों की भारी भीड़ अपनी चिंताएँ व्यक्त करने के लिए आई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था बच्चों के भविष्य को किस तरह गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

योजना का क्रियान्वयन:

इस कार्यक्रम में झारखंड स्थित गैर-सरकारी संगठन और लाइसेंस प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान शामिल होंगे।

कोचिंग कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों या कोचिंग संस्थानों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

जिन संस्थानों का एक से अधिक जिलों में संचालन होता है, उन्हें प्रत्येक जिले के लिए विशेष रूप से बोलियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।

यह कोचिंग कार्यक्रम केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध है और हर साल नए आवेदन स्वीकार किए जाएँगे।

प्रत्येक कक्षा में गैर-एसटी छात्रों सहित अधिकतम 40 छात्र हो सकते हैं।

5% सीटें विकलांग अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए और 30% सीटें महिला अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उम्मीदवार केवल एक बार कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं, और वे कुल मिलाकर दो से अधिक कोचिंग पाठ्यक्रम नहीं ले सकते। संस्थानों को नामांकित उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत करनी होगी।

प्रश्न और उत्तर (FAQ):

1. प्रश्न: इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है?

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (ST) के आवेदकों को निःशुल्क परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करके प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी सफलता दर बढ़ाना है।

2. यह कार्यक्रम किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है?

झारखंड सरकार का अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

3. इस कार्यक्रम के लिए कौन पात्र है?

झारखंड के अनुसूचित जनजाति (ST) के वे उम्मीदवार जो प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं।

4. कोचिंग सेंटर कहाँ स्थित हैं?

में रांची, गुमला, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, दुमका, गिरिडीह,पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, हज़ारीबाग, धनबाद में ट्यूशन सेंटर स्थापित किए जाएँगे।

5. छात्रों को किस प्रकार की वित्तीय सहायता मिलती है?

छात्रों को ₹1,000 का मासिक वजीफा दिया जाता है, और शहर से बाहर रहने वाले छात्रों को ₹2,000 आवास सहायता मिलती है।

6. कोचिंग संस्थानों के लिए किस स्तर का अनुभव आवश्यक है?

संस्थानों को कम से कम तीन वर्षों से कोचिंग प्रदान करनी होगी।

7. प्रश्न: क्या किसी छात्र की पात्रता उसकी आय पर निर्भर करती है?

वास्तव में, वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,50,000 या उससे कम होनी चाहिए।

8. क्या कोई छात्र इस कार्यक्रम का एक से अधिक बार उपयोग कर सकता है?

नहीं, छात्र किसी विशेष परीक्षा के लिए केवल एक बार ही ट्यूशन का लाभ उठा सकते हैं और कुल मिलाकर दो से अधिक कोचिंग सत्र नहीं ले सकते।

9. क्या शहर से बाहर के छात्र वित्तीय सहायता के पात्र हैं?

हाँ, शहर से बाहर से आने वाले छात्रों के आवास और भोजन के लिए हर महीने ₹2,000 प्रदान किए जाएँगे।

10. प्रश्न: संस्थान अनुदान कैसे प्राप्त कर पाएँगे?

उपस्थिति और प्रशिक्षण पूरा होने की पुष्टि के बाद, सरकार नामांकित प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के छात्र के लिए सीधे कोचिंग संस्थानों को भुगतान करेगी।

एकत्रित आँकड़ों के अध्ययन के अनुसार, शैक्षणिक वातावरण आदिवासी बच्चों के लिए कई समस्याएँ पैदा करता है, जबकि गैर-आदिवासी छात्र सांस्कृतिक भिन्नताओं और अपनी खराब सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा कम आर्थिक स्थिति के कारण उत्पन्न हीन भावना के कारण समायोजन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। वह उन लोगों की मदद करती हैं जिन्हें कक्षा के माहौल में समायोजन करने में कठिनाई होती है। गैर-आदिवासी बच्चे अक्सर उन्हें नापसंद करते हैं। इसलिए उन्हें अपने छोटे-छोटे समूह बनाने पड़ते हैं। इसके परिणामस्वरूप आदिवासी बच्चों के मन में तनाव पैदा होता है और अन्य स्कूली बच्चों का सहयोगात्मक रवैया भी। साक्षात्कार की स्थिति व्यक्तिगत है। शोध और परीक्षण से प्राप्त जानकारी से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:

वे स्कूल के माहौल में ढलने में असमर्थ होने के कारण खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। आदिवासी बच्चों के माता-पिता आमतौर पर अशिक्षित होते हैं। इसका उनकी स्कूली शिक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्हें घर पर पढ़ाई या स्कूल से जुड़ी अन्य समस्याओं में कोई मदद नहीं मिलती। अपनी विशिष्ट भाषाई और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण आदिवासी बच्चों को स्कूली जीवन में पूरी तरह से शामिल होने में कठिनाई होती है। आदिवासी शिक्षा में एक और बड़ी बाधा योग्य शिक्षकों की कमी है। आदिवासी जीवन और संस्कृति से अनभिज्ञ होने के बावजूद, कई शिक्षक आदिवासी स्कूलों में काम करते हैं। परिणामस्वरूप, वे आदिवासी शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ होते हैं। आदिवासी विद्यार्थियों की भाषा शिक्षकों को समझ में नहीं आती, जिससे छात्र-शिक्षक के बीच तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाता।

जनजातियों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने और उन्हें संबोधित करने में भौतिक स्थान एक और कठिनाई प्रस्तुत करता है। अधिकांश प्रागैतिहासिक जनजातियाँ अभी भी पहाड़ी, जंगली और चुनौतीपूर्ण इलाकों में रहती हैं, और सड़कों और परिवहन बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण उन तक पहुँचना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। महिला शिक्षा में शैक्षिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण बाल विवाह है, जो महिलाओं को अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने से रोकता है और स्कूल छोड़ने की दर को बढ़ाता है।

जब बात आर्थिक मंदी की आती है, तो गरीबी और कर्ज मुख्य मुद्दे होते हैं। आदिवासी समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करते हैं। आर्थिक तंगी के कारण माता-पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पाते, इसलिए वे पैसे कमाने के लिए उन्हें धनी व्यापारियों या दलालों को बेच देते हैं। इसलिए, युवाओं को या तो समाज के निंदनीय मानदंडों का पालन करना पड़ता है या फिर तस्करी का जोखिम उठाना पड़ता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नॉवेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट (INOW) आदिवासी समाजों में बाल श्रम ज़्यादा आम है, जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों ही शिक्षा प्राप्त करने के बजाय अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने के लिए काम करते हैं।

जनजातियों शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव:

स्कूलों में पारंपरिक हस्तशिल्प और स्वदेशी कौशल सिखाए जाने चाहिए। आदिवासी समुदायों में खुले शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सामान्य शिक्षा निधि से स्कूल भवन बनाए जाने चाहिए। जो छात्र 4 किमी से अधिक पैदल चलकर स्कूल आते हैं, उन्हें इन स्थानों पर छात्रावास जैसी आवासीय सुविधाओं की बढ़ती संख्या तक पहुँच मिलनी चाहिए। पाठ्यक्रम में जनजातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ को शामिल किया जाना चाहिए। त्रि-भाषा सूत्र के अनुसार, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक आदिवासी भाषा, एक प्रांतीय भाषा और एक हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा बनी रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कक्षाओं में आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा का अनुवाद पढ़ाया जाता है जिसमें वे पले-बढ़े हैं।

निष्कर्ष: झारखंड इस नियम का अपवाद नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा किसी भी क्षेत्र या राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरीबी, सुविधाओं की कमी और अपने परिवारों का भरण-पोषण करने की आवश्यकता के कारण, राज्य में बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक विद्यालय छोड़ देते हैं। कक्षाएँ अक्सर भीड़भाड़ वाली होती हैं, विद्यार्थियों को पर्याप्त व्यक्तिगत ध्यान नहीं मिल पाता और पर्याप्त योग्य शिक्षक नहीं होते। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना गरीबी के चक्र को तोड़ने और बच्चों को भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूँकि झारखंड में छात्र-शिक्षक अनुपात भारत से अधिक है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा सकल नामांकन अनुपात (पीटीआर) को यथासंभव कम रखना महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षा सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की दिशा में किसी देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। यह औपचारिक प्राथमिक शिक्षा में नामांकित प्राथमिक विद्यालय आयु वर्ग के बच्चों के अनुपात को दर्शाता है और शैक्षिक संभावनाओं के विस्तार के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों और पहलों की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। झारखंड की छात्राओं में शिक्षा छोड़ने का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 2.9 प्रतिशत से कहीं अधिक है, और छात्रों में स्कूल छोड़ने की दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

- भारत की जनगणना (2001)।
- झारखंड - डेटा हाइलाइट्स: अनुसूचित जनजातियाँ (2001)।
- झारखंड की जनजातियाँ, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tribes_of_Jharkhand।
- कुमार राहुल और सुमीत किशोर, (2020), झारखंड, रामगढ़ और रांची में आदिवासी बच्चों की शिक्षा।
- मिंज, दिवाकर; हांसदा, डेलो माई (2010) झारखंड में अनुसूचित जनजातियों का विश्वकोश।
- **कुमार, जी., और रेशमी, आर.एस. (2018)**। भारत में चयनित सशक्त कार्रवाई समूह (ईएजी) राज्यों में शहरीकरण और विकास। झारखंड जर्नल ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज, 16(1), 76417658। कुमार, एस., और राज, ए. (2024)। झारखंड, भारत से प्रवास की प्रवृत्ति और पैटर्न। मानविकी और सामाजिक विज्ञान समीक्षा, 12(2), 8-15।
- **मोइत्रा, एन. (2024)**। आदिवासी एजेंसी के लेंस के माध्यम से झारखंड में उच्च शिक्षा और आजीविका की स्थिति की यथार्थवादी समीक्षा।
- **नारायण, बी.**, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा का एक विषयवस्तु विश्लेषण: सरकार के दृष्टिकोण और कर्तव्यनिष्ठा पर ज़ोर। जनजातीय अध्ययन में बदलते दृष्टिकोण: मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से अंतःविषयता और सामंजस्य तक, 203-231।
- **नायक, के. वी., और आलम, एस. (2022)**। डिजिटल विभाजन, लिंग और शिक्षा: कोविड-19 के दौरान ग्रामीण झारखंड में आदिवासी युवाओं के लिए चुनौतियाँ। निर्णय, 49(2), 223-237।
- **रवि, ए. (2021)**। भारत के झारखंड राज्य के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में मानसिक बीमारी के प्रति ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार: एक तुलनात्मक अध्ययन (मास्टर थीसिस, केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (भारत))।
- **साहू, जे. के., और प्रकाश, वी. (2021)**। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के बंदगाँव ब्लॉक के निजी स्कूलों में महिला शिक्षकों के कार्य-जीवन संतुलन पर एक अध्ययन"। इंडियाना लिटरेचर, 2(10), 18-23. जर्नल ऑफ़ आर्ट्स एंड

Citation: Yadav. Dr. S. C., (2025) "झारखंड के संदर्भ में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति एवं विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.